राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

<u>अपील संख्या: - 2217/2018</u>

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
महेन्द्र कुमार टेलर न्यायालय के सामने] नैनवां] बूँदी , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं पुलिस महानिरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 10-05-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।

2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री नरेन्द्र सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपस्थित।

3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।

4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 05-09-2017 के द्वारा पूर्व में प्रेषित आवेदन दिनांक 05-09-2017 के अन्तरण के संबंध में सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 23-11-2017 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।

5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी का आवेदन दिनांक 05-09-2017 कार्यालय में प्राप्त दिनांक 12-09-2017 वैध आवेदन शुल्क के अभाव में आवेदन पत्र को वापस किया गया। प्रथम अपील पेश होने पर निर्णय दिनांक 23-11-2017 से खारिज की गई। अपीलार्थी ने अपने आवेदन में जो सूचना चाही है, वह कार्यालय के किसी पत्रावली अथवा किसी रिकार्ड का हिस्सा नहीं है, कोई सूचना देय नहीं है।

6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 09-04-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। जिससे उक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है। अपीलोत्तर के साथ पत्र दिनांक 19-09-2017 एवं प्रथम अपील निर्णय यदिनांक 23-11-2017 की प्रति संलग्न की गई है।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार अपीलार्थी प्रत्यर्थी के विनिश्चय से संसूचित है। अपील में अब कोई

कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त